झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 26.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री शशि भूषण सामड़ एवं श्री अमित कुमार स0वि0स0	विज्ञापन संख्या- 93/2011 में JAC द्वारा नव उत्क्रमित उच्चविद्यालय सहायक शिक्षक नियुक्ति हेतु प्रकाशित दिनांक- 24.10.2014 एवं 18.03.2015 के परीक्षा परिणाम में B.E.D. सत्र 2011-12 के छात्रों को अयोग्य करार दिया गया जबकिं श्री उमा शंकर प्रसाद क्रमांक- 51003643 (Civics) को B.E.D. सत्र 2011-12 रहते हुए भी रखा गया है। उक्त विज्ञापन के कंडिका (ii) में उल्लेख था कि अभ्यर्थि का प्रशिक्षण परीक्षाफल परिषद् द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति में प्रतियोगिता परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व परिषद् द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना होगा। लम्बित परीक्षाफल के निष्पादन के लिए वि0स0-75/2014 द्वारा प्रमाण-पत्र मांगा गया किन्तु इसका पावती किसी को नहीं दिया गया। साथ ही क्रमांक- 12400030 को वर्ष 2014 के परीक्षाफल में MBC में रखा गया था तथा वर्ष 2015 के रिजल्ट में BC में रखा गया है। संशोधित रिजल्ट तथा पूर्व के रिजल्ट में काफी अंतर है। JAC को किसी के अंक कम या अधिक करने का अधिकार नहीं है।	मानव संसाधन विकास

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		नई सूची में काफी लोगों (लगभग 300) को जोड़ा गया जिनका पुरानी सूची में नाम नहीं था। अतः मैं JAC की इस लापरवाही के कारण संशोधित परीक्षाफल प्रकाशित करने तथा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	
02-	श्रीमती निर्मला देवी स0वि0स0	हजारीबाग एवं चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड केरेडारी एवं टण्डवा में बन रहे एन0 टी0 पी0सी0 थर्मल पॉवर लि0 1980 मेगावाट के लिए गहरी जलाशय परियोजना तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा आधारशीला रखा गया था। एन0 टी0 पी0 सी0 के भू-रैयतों को रैयती एवं गैरमजरूआ जमीन का प्रति एकड़ 15 लाख रू0 दिया जा रहा है, लेकिन उसी एन0 टी0 पी0 सी0 को चलाने के लिए गहरी जलाशय परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है जिसका अधिगृहित भूमि के रैयतो को किसी को 60 हजार रू0 प्रति एकड़ तो लाख, दो लाख प्रति एकड़ दिया जा रहा है एवं गैरमजरूआ जमीन का भुगतान नहीं दिया जा रहा है। एक ही परियोजना के लिए 15 लाख रू0 प्रति एकड़ पर मिल रहा है एवं अन्य सुविधा दिया जा रहा है तो गहरी जलाशय के भू-रैयतों एवं भू-विस्थापितों को अभी तक विस्थापित का लाभ नहीं मिला है। उन्हें घर से बेघर कर दिया गया है। अतः एन0टी0पी0सी0 के तर्ज पर गहरी जलाशय परियोजना के भू- रैयतों को भुगतान करवाने एवं पुनर्वास हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहती हूँ।	जल संसाधन
03-	श्री विकास कुमार मुण्डा, स0वि0स0	राँची जिला के तमाड़ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की छात्राओं के लिए एक भी आवासीय विद्यालय नहीं है। जबकि पूरे पांच परगना क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की आबादी 60,000 से ऊपर है। मैं तमाड़ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की छात्राओं के लिए एक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	कल्याण

01.	02.	03.	04.
04-	सर्वश्री साधु चरण महतो, नागेन्द्र महतो एवं श्रीमती गंगोत्री कुजूर स0वि0स0	मेरे विधान सभा क्षेत्र, ईचागढ़ को जिला मुख्यालय से एवं आदित्यपुर, गम्हरिया को जोड़ने वाली दो सड़के है जिनमें एक चाण्डिल-कान्ड्रा रोड जो मानीकुई में पुल धँसने से बन्द पड़ा हुआ है तथा दूसरा चौका-कान्ड्रा रोड, जो निर्माणाधीन है पर वन विभाग के स्वीकृति के अभाव में 7 कि0मी0 रोड में निर्माण कार्य नहीं हो रहा है एवं अधूरा पड़ा हुआ है तथा उक्त जगह में रोड काफी जर्जर एवं दयनीय है। फिर भी आम जन तथा भारी वाहन उसी रोड से आवागमन के लिए मजबुर है तथा बरसात में उक्त रोड के भी बन्द हो जाने की संभावना है। अतः उक्त पथ का अविलम्ब वन विभाग से स्वीकृति दिलाते हुए निर्माण कार्य पूरा कराने की आवश्यकता है। अतः सरकार का ध्यान चौका-कान्ड्रा रोड का वन विभाग से स्वीकृति दिलाते हुए अविलम्ब, निर्माण कार्य पूरा कराने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	पथ निर्माण
05-	सर्वश्री राम कुमार पाहन, जयप्रकाश वर्मा एवं श्री संजीव सिंह स0वि0स0	राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। अनेक लोगों की मृत्यु सड़क हादसा में हो रही है। सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के उपरान्त B.P.L. परिवार के लोगों को नियमानुसार मुआवजा देने का प्रावधान है लेकिन B.P.L. से अलग लोगों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर सरकार द्वारा किसी तरह की कोई सहायता प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह बात सही है कि गरीबी रेखा से नीचे स्तर के लोगों को B.P.L. कार्ड की सुविधा दी जाती है परन्तु बहुत ऐसे गरीब परिवार है जो अनेकों समुदायों से आते है उनका B.P.L. सूची में नाम अंकित नहीं है उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिलता है और उनपर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। अतः मैं B.P.L. सूची से बाहर के लोगों को सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के उपरान्त मुआवजा राशि देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	आपदा प्रबंधन

राँची
दिनांक- 26 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-......1682...../वि0स0,राँची,दिनांक- 25/3/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/मानव संसाधन विकास विभाग/ जल संसाधन विभाग/ कल्याण विभाग /पथ निर्माण विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/15

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-.....1682...../वि0स0,राँची,दिनांक- 25/3/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

25/3/15

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

25/03/15